

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश
शिमला

संख्या: प्रशासन/ए/2025-26/ 434

दिनांक : 23-01-2026

कार्यालय आदेश / Office Order

सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निम्नलिखित मंडलीय लेखाकारों के स्थानान्तरण आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किए जाते हैं।

With the approval of the Competent Authority, transfer orders of the following Divisional Accountants are issued with immediate effect.

Sr. No.	Name	Designation	Transferred from Division	Transferred to Division	Remarks if any
1	Neetu Yadav	DA	HP PWD Electrical Division No.- I, Shimla	HP PWD Mechanical Division, Dhalli, Shimla (within station)	Due to administrative reasons.
2	Vinit Jha	DA	HP PWD B&R Division Sarkaghat, District-Mandi (on training)	JSV Division, Rohru	Assigned regular charge upon completion of the probation period.

नोट/ Note :

1. प्रतिधारण या विस्तार के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा । / No request for retention or extension will be entertained.
2. कोई अलग से आदेश जारी नहीं किए जाएँगे । / No separate individual orders will be issued.
3. दोनों मंडलीय लेखाकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे वर्तमान प्रभाग से कार्यमुक्त होने और नए सौंपे गए प्रभाग का कार्यभार संभालने के संबंध में अपनी रिपोर्ट pramitjoeld.guj.ae@cag.gov.in पर ईमेल के माध्यम से प्रस्तुत करें और उसकी एक प्रति sharmas2.hmp.ae@cag.gov.in पर भी भेजें। / Both the DAs are directed to submit their reports regarding relieving from the present Division and taking over charge of the newly assigned Division through email at pramitjoeld.guj.ae@cag.gov.in, with a copy to sharmas2.hmp.ae@cag.gov.in.
4. उपरोक्त स्थानान्तरण को जनहित में किया गया माना जाएगा। तदनुसार, संबंधित कर्मचारी नियमों के अंतर्गत देय टीटीए, कार्यभार ग्रहण अवधि आदि के लिए पात्र होंगे । / The above transfers/postings are treated as being made in public interest. Accordingly, the officials concerned shall be eligible for TTA, joining time, etc., as admissible under rules.

-हस्ता-

वरिष्ठ उप महालेखाकार
(लेखे एवं वी एल सी)

पृ. सं.: प्रशासन/EE-14/T&P/2025/2025-26 / 3848-57 दिनांक:23-01-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है /Copy forwarded to the following for information and necessary action to:

1. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ निजी सचिव को ।
2. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.) हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ निजी सचिव को ।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार (लेखे एवं VLC) के निजी सहायक को ।
4. उप महालेखाकार (प्रशासन) के निजी सहायक को ।
5. मुख्य अभियंता, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग / लोक निर्माण विभाग, शिमला ।
6. कार्यालय के सभी वरिष्ठ लेखा अधिकारियों को ।
7. सभी सम्बंधित अधिशासी अभियंता, हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग मंडल / लोक निर्माण विभाग मंडल
8. सभी सम्बंधित मंडलीय लेखाकारों को ।
9. सम्बंधित मंडलीय लेखाकारों की व्यक्तिगत मिसिल ।
10. ए क्रम मिसिल / प्रशासन ।

वरिष्ठ लेखा अधिकारी (प्रशासन)